कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES विलोपित
कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 INDIA TWENTY RUPEES विलोपित

न्यायालय मान0राजस्व मडंल,म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ~~दो-अपील/शिवपुरी/20~~18/
अपील - 8854/2018/शिवपुरी/भू.रा

1- बाबूलाल पुत्र हरीराम गड़रिया
2- लाल सिंह 3- सुघर सिंह
पुत्रगण माधौसिंह गड़रिया
4- रामलाल पुत्र वृखभान गड़रिया
ग्राम थरखेड़ा मजरा नोथनी
तहसील नरबर जिला शिवपुरी ---अपीलांटस

विरूद्ध

1- कोक सिंह 2- अंगद सिंह
पुत्रगण रघुवीर सिंह
3- कप्तान सिंह 4- राजेश सिंह
पुत्रगण राम सिंह
5- सुश्री शीला 6- सुश्री सोमोती
7- सुश्री सुनीता 8- सुश्री उषा
9- सुश्री सुमन पुत्रियां राम सिंह
10-जन्डेल सिंह 11- किलेदार सिंह
दोनों पुत्रगण बाघ सिंह
12-सुश्री मुन्नी पुत्री बाघ सिंह
ग्राम थरखेड़ा मजरा नोथनी
तहसील नरबर जिला शिवपुरी
13-मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी ---रिस्पाण्डेन्टस

श्री जी.पी. नायक एड. द्वारा आज दि० 25-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-7-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(श्रीमान अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 15/2015-16 अ-5 में पारित आदेश दिनांक 7-12-2016 के विरुद्ध अपील - अंतर्गत धारा 44, म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959)

G.P. Nayak Adv 25.6.18

महोदय,

अपील प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि अपीलांट्स जैरावन तहसील करैरा की भूमि सर्वे कमांक 291 रकबा 5-800 हैक्टर तथा भूमि सर्वे कमांक 292 रकबा 5-550 हैक्टर के रिकार्डेड भूमिस्वामी है। ग्राम जैरावन तहसील करैरा की भूमि सर्वे कमांक 291 तथा भूमि सर्वे कमांक 292 तहसील नरबर की सीमा से लगी हुई है और इसी भूमि से रिस्पाण्डेन्टस की भूमि सर्वे कमांक 1948 तथा 1973 लगी हुई है जो तहसील नरबर में है।

यह कि कोक सिंह , अंगद सिंह आदि ने अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष आवेदन देकर नक्शे में उनकी भूमि का रकबा कम होने से सुधार की मांग की, **जिसमें समस्त अपीलांट को हितबद्ध होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया गया।**

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/अपील/शिवपुरी/भूरा/2018/3842

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
22.10.18	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी0 पी0 नायक द्वारा यह अपील अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण, कमांक 15/अ-5/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 7.12.16 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू-राजस्व राजस्व संहिता 1959 की धारा-44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2-अनावेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा तर्क किया गया है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वह इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है। 3-उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 15/अ-5/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 7.12.16 के विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, जबकि अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये थी, इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	